न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 33 / 2024

उनवान

1. भीकमचन्द सांखला पुत्र कजोडमल जाति जीनगर (मोची) म0न0 2157 मोची बाजार, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री धमेन्द्र जैन

बनाम

1. बख्ता पुत्र हीरा जाति बैरवा चमार मौहल्ला, देराठू, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद
3. उप पंजीयक, नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 अनुपस्थित
2 व 3 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

दिनांक :– 14.6.24

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 5056 रकबा 0.2686 की आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की है। जिस पर वादी का 260 / 1343 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1083 / 1343 हिस्सा है। का अलग–अलग हिस्सा निहित है। उक्त आराजी का आज दिनांक तक विभाजन नही हुआ है जिस कारण प्रतिवादी उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे है। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनपुस्थित रहे।

अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादी की सह खातेदारी की है व वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होने के कारण जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन पेश नही होने से तनकी कायम नही की गयी।

बहस सुनी गयी।

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सह खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश किया है। वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पेश कर सकते है। वादीगण विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

अतः ग्राम देरादू के हाल खसरा नम्बर 5056 रकबा 0.2686 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भीकमचन्द बनाम बख्ता

दावा बाबत :– 53, 92ए, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 33/2024
पेश करने की दिनांक – 21.02.24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक धमेन्द्र कुमार जैन मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 5056 रकबा 0.2686 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 14 माह 6 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद